जनपद - संतकबीरनगर　　　　　प्रेस विज्ञप्ति　　　　　दिनॉक 14-06-2021

आज दिनांक 14.06.2021 को पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **डा0 कौस्तुभ** के निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य –

छेड़खानी के मामले मे 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 393 / 2021 धारा 354 / 352 / 504 / 506 भादवि से संबंधित वांछित अभियुक्त नाम पता अब्दुल करीम पुत्र सत्तार निवासी नावध थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।
विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा दिनांक 06/06/2021 को वादी की पुत्री के साथ जबरन छेड़खानी की घटना कारित की गई थी व उसके द्वारा विरोध करने पर जानमाल की धमकी दी गई थी जिसके संबंध मे वादी द्वारा दिनांक 10.06.2021 को थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जिसमें आज दिनांक 14.06.2021 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा तत्परता दिखाते हुए उक्त आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।
थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 397 / 2021 धारा 354(ख) / 504 / 506 भादवि व 9/10 पाक्सो एक्ट से संबंधित वांछित अभियुक्त नाम पता रामजन्म पुत्र ओमप्रकाश निवासी एकमा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।
विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा वादिनी की पुत्री के साथ जबरन छेड़खानी की घटना कारित की गई थी व उसके द्वारा विरोध करने पर जानमाल की धमकी दी गई थी, जिसके संबंध मे वादिनी द्वारा दिनांक 11.06.2021 को थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जिसमें आज दिनांक 14.06.2021 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा तत्परता दिखाते हुए उक्त आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा अपहृता बरामद

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 381 / 2021 धारा 363 / 366 भादवि से संबंधित अपहृता को सकुशल बरामद कर उसके परिजनों को सुपुर्द किया गया।
गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री श्यामकन्हैया दूबे, म0कां0 विमला यादव।

अवैध शराब निष्कर्षण, बिक्री के खिलाफ की गई कार्यवाही के अन्तर्गत 30 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद, 02 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना धनघटा पुलिस द्वारा 30 लीटर अवैध कच्ची शराब के अभियुक्त नाम पता 1- राजेन्द्र निषाद पुत्र रामलौट निषाद निवासी निवासी भिखारीपुर थाना धनघटा 2-प्रदीप चौहान पुत्र रामजीत निवासी मुण्डेरा शुक्ल थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को क्रमशः 10-20 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर थाना धनघटा पर क्रमशः मु0अ0सं0 303 / 2021 व मु0अ0सं0 304 / 2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 03 अभियुक्त गिरफ्तार

- **थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना धनघटा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 2548 द्वारा मार्ग दुर्घटना मे घायल व्यक्ति को पहुंचाया गया अस्पताल – पीआरवी 2548 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रान्तर्गत कांटे से इवेन्ट संख्या 02358 से कालर ने मार्ग दुर्घटना मे एक व्यक्ति के घायल होने के संबन्ध मे सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा तत्काल घटनास्थल पर 11 मिनट में पहुँचकर मार्ग दुर्घटना मे घायल व्यक्ति को जरिए एंबुलेंस से जिला अस्पताल भेजवाया गया तथा दुर्घटना के संबंध मे थाना कोतवाली खलीलाबाद को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर दुर्घटना मे घायल व्यक्ति को अस्पताल भेजवाकर उसकी जान बचाई गई, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।
पीआरवी स्टाफ –मु0आ0 अरविन्द कुमार, मु0आ0 रामानन्द चौधरी, हो0चा0 रामकृष्ण मौर्य।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 73 वाहनो से 54500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 14.06.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 73 वाहनो से 54500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।